219

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक |२०१५ निगरानी
निग /3991-I-15

१- महिला उषा पत्नी बीरेन्द्र,
२- संजय | पुत्रगण बीरेन्द्र
३- विनोद |
४- प्रमोद नाबालिग पुत्र बीरेन्द्र वसरपिस्त माता स्वयं उषा ।
समस्त निवासीगण हडवासी, तेहसील जौरा जिला मुरैना-(म०प्र०) ।
५- ज्योति पत्नी मैरो शर्मा निवासिन ग्राम खुट्यानीपार तेहसील जौरा जिला मुरैना-म०प्र०
-------- प्रार्थीगण

श्री एम. के. अवस्थी अभिभाषक द्वारा दिनांक 14-12-15 को प्रस्तुत ।
14.12.15

विरुद्ध

१- पुनीतराम शर्मा पुत्र रामदीन शर्मा, निवासी ग्राम हडवासी तेहसील जौरा जिला मुरैना ।
-------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बलसंभाग, मुरैना दिनांक ३-१२-१५, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३०।२०१०-११ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने विवादित आदेश से प्रकरण के मुख्य विवाद का निराकरण नहीं किया गया । नामान्तरण प्रकरण को अनिर्णीत रखने का आदेश देने में भूल की है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3991/एक/2015 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-10-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 30/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील जौरा के ग्राम हडवासी में स्थित विवादित भूमि खाता क्रमांक 699 कुल किता 19 रकवा 8.275 है0 मे से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 3/4 खाता क्रमांक 47 किता 1 रकवा 10 विस्वा में से हिस्सा 1/3 खाता क्रमांक 96 कुल किता 2 कुल रकवा 04 बीघा सम्पूर्ण खाता क्रमांक 107 किता 1 रकवा 14 विस्वा में से रकवा 10 विस्वा 06 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक 1388 रकवा 02 बीघा 04 विस्वा में से हिस्सा 1/8 जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी जसराम की मुत्यु हो जाने के कारण विवावित भूमियों वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने बावत् आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं एक आवेदन पत्र वारिसाना के आधार पर अनावेदक द्वारा नामान्तरण किये जाने बावत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर पारित आदेश दिनांक 26.02.2009 से विवादित भूमियो पर मृतक जसराम के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 04.11.2010 से निरस्त की गयी तत्पश्चात् अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश	

दिनांक 03.12.2015 से स्वीकार की गयी इसी आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतक जसराम द्वारा उनक हक में पजीकृत वसीयतनामा सम्पादित किया था और यदि वसीयतनामा से अनावेदक को कोई वेदना थी। तो उसे निष्प्रभावी कराने हेतु सिविल न्यायालय में जाकर उपचार प्राप्त किया जाना चाहिये था। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अनावेदक द्वारा जो अपील अनुविभागीय अधिकारी जौरा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी वह स्पष्टतः अवधि बाह्य थी। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में जो आदेश पारित किया गया है, वह अपने स्थान पर विधिवत् था जिसे अपास्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है। अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना का आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं उचित है क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर सकारण आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना का आदेश स्थिर रखे जाने एवं वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का विधिवत् अवलोकन किये जाने के पश्चात् स्पष्ट है कि

विचारण न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया है जिसके संबंध में विधिवत् जॉच की गयी है, तथा गवाहों के कथन लिये जाकर आदेश पारित किया है, वसीतयतनामा के साक्षियों द्वारा वसीयतनामा के शंका से परे प्रमाणित किया है ऐसी स्थिति में वसीयतनामा को शंका स्पद नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय के आदेश की अनावेदक को विधिवत् जानकारी थी ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी है वह स्पष्टतः अवधि बाह्य थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि के बिन्दु पर अमान्य किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय को केवल अवधि के वैधानिक प्रश्न पर निराकरण किया जाना चाहिये था किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर विचार किये बिना प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर किया है जो अपने स्थान पर विधिवत् नहीं है। जहॉ तक पंजीकृत दस्तावेज निरस्त किये जाने का प्रश्न है तो इसका वैधानिक अधिकार सिविल न्यायालय को है और इस दिशा में अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी ऐसी स्थिति में भी जो आदेश अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2010 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य